न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.
आवेदन संख्या :– 52/2023

प्रार्थीनीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
01. धर्मी पत्नी रूगाराम 02. रूपोदेवी पत्नी वगताराम जाति जाट निवासी आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।		1. चैनाराम पुत्र खेराजराम 2. चौखाराम पुत्र खेराजराम 3. राणाराम पुत्र खेराजराम 4. पेम्पोदेवी पत्नी उम्मेदाराम 5. रेखाराम पुत्र उम्मेदाराम 6. लाधूराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी आदर्श लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 7. धनी पत्नी कोजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना। 8. नाथाराम पुत्र कानाराम 9. राजोदेवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना। 10. रामूराम पुत्र कोजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना। 11. लक्ष्मी पत्नी किसनाराम जाति जाट निवासी आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 12. राज्य सरकार जरिये तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :–13.04.2023

अधिवक्तागण :– 1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थीगण

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 27.02.2024

प्रार्थीनीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थीनीगण का खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/11 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की भूमि आई हुई है,

उपखण्ड अधिकारी जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

जो आगामी पदों में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू–नक्शा साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीनीगण की क्रयसुदा भूमि हैं जो प्रार्थीनीगण के नामान्तरकरण दर्ज के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थीनीगण स्वयं के नाम से है। प्रार्थीनीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही पटवार मण्डल लूखू के ग्राम आदर्श लूखू के विप्रार्थी संख्या 01 से 03 तक के खेत खसरा नम्बर 100/7, विप्रार्थी संख्या 04 से 06 तक के खेत खसरा नम्बर 100/9, विप्रार्थी संख्या 07 से 11 तक के खेत खसरा नम्बर 100/8 की भूमि आई हुई है, प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 11 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीनीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीनीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीनीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीनीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2022/ सीमाज्ञान/288 दिनांक 16.03.2022 पटवारी हल्का लूखू को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 02.02.2023 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर खसरा नम्बर 100/11 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थीनीगण को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थीनीगण नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा आदर्श लूखू पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनीगण का खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/11 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 12 तक को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए

विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 01 व 03 का निम्न जबाब पेश किया – पैरा संख्या 01 व 02 गलत होने से अस्वीकार है उक्त भूमि सरकारी पड़त खसरा संख्या 100 में से गरीबो को आवंटित भूमि को गलत तरीके से खरीदा है टाईटल स्पष्ट नही है। पैरा संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है उक्त आवंटन नजरीये नक्शा से तरमीम की गई जो कब्जे के विपरित होने से सभी आवंटन धारीयों को कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त करना आवश्यक है। उससे पूर्व पत्थरगढी का आदेश होने से पूरे खसरे में सभी के हक हिस्से प्रभावित होगे इसलिए तहसील से मूल आवंटन व तरमीम करने का आदेश तलब किया जाना न्यायोचित है। पैरा संख्या 04 व 05 गलत होने से अस्वीकार है हल्का पटवारी ने सीमाज्ञान रिपोर्ट बिना मौके पर आये बनाई है जो पत्थरगढी के लिए पर्याप्त नहीं है। पेरा संख्या 06 से 09 कानूनी है। विशेष कथन –आवंटनसुदा भूमि को बेचान करना अवैध है लिहाजा प्रार्थीनीगण को भूमि वैध तरीके से प्राप्त नहीं होने से आवेदन चलने योग्य नही है। कब्जे के विपरित पत्थरगढी का आवेष देकर कब्जा प्राप्ति नही की जा सकती है इसके लिए नियमित वाद आवष्यक है। खेत खसरा संख्या 100 के पूरे खेत की रिपोर्अ के अभाव मे एक पार्ट की पत्थरगढी से क्षेत्र में आराजकता फैल जायेगी। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध व सारहीन होने से खारीज किया जावे का जबाब पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीनीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/11 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावें ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/ बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थीनीगण अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेषान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया, अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण विवादित आराजी ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/11 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है " प्रार्थीनीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2022/ सीमाज्ञान/288 दिनांक 16.03.2022 पटवारी हल्का लूखू

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 02.02.2023 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीनीगण व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर खसरा नम्बर 100/11 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थीनीगण को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। " प्रार्थीनीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/11 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीनीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीनीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/11 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीनीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा संख्या 100/11 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक (नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी) रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर